न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 12/15 **निर्णय दिनांक 04.09.2018**

1. बहादुर सिंह पुत्र विशाल सिंह जाति राजपूत निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. दलीप सिंह पुत्र विशाल सिंह जाति राजपूत निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. सावित्री केंवर बेवा भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।
4. उम्मेद सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।
5. पर्वत सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।
6. सुमन कंवर पुत्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।
7. सन्तोष कंवर पुत्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।
8. मेघ सिंह
9. किशोर सिंह
10. राम सिंह

पिसरान दीप सिंह जाति राजपूत निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. पुरखाराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।

1/1. आशादेवी पत्नी पुरखाराम

1/2. कालूराम पुत्र पुरखाराम

1/3. वासुराम पुत्र पुरखाराम

2. घमण्डाराम पिसरान हीराराम जाति मेघवाल निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।

2/1. मघाराम
2/2. परताराम
2/3. पप्पूराम

पिसरान घमण्डाराम जाति मेघवाल निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।

2/4. शिवराम | पिसरान घमण्डाराम जाति मेघवाल निवासी जामसर
2/5. सोनादेवी | तहसील व जिला बीकानेर।
2/6. गोमती पत्नि घमण्डाराम जाति मेघवाल निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. नारायणराम
4. रामूराम
5. मु. धुड़ी बेवा केशराराम
6. जेठाराम | पुत्र/पुत्रियॉ केशराराम जाति मेघवाल निवासी जामसर
7. श्रवणराम | तहसील व जिला बीकानेर।
8. सुनीता |
9. लिछमीदेवी बेवा विशाल सिंह
10. भंवरीकंवर | पुत्रियॉ विशाल सिंह जाति राजपूत निवासी
11. कौशल्या कंवर | जामसर तहसील व जिला बीकानेर।
12. गुलाब कंवर |
13. सोनादेवी बेवा दीप सिंह जाति राजपूत निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।
14. भंवरीकंवर पुत्री दीप सिंह जाति राजपूत निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 02—12—2014
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री दाऊलाल हर्ष, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री करण सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 02—12—2015 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 द्वारा धोषणात्मक व चिर निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया उक्त दावे के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 03–02–2014 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई। अदालत मातहत द्वारा उक्त एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा को आदेश जैर अपील दिनांक 02–12–2014 को कन्फर्म किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि वादगत् कृषि भूमि संवत् 2012 से पूर्व से अपीलांट्रान के दादा स्व. वचन सिंह के नाम से चली आ रही है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गये है। वचन सिंह के स्वर्गवास के उपरान्त उसके वारिसान सिरिया देवी बेवा वचन सिंह, विशाल सिंह, दीप सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। तत्पश्चात् सिरिया देवी, विशाल सिंह, दीप सिंह के स्वर्गवास के उपरान्त अपीलांटान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। मौके पर लगातार अपीलांटान का बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा चला आ रहा है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि के बाबत् वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 7 तादादी 28 बीघा 14 बिस्वा भूमि जिसके हाल चक 739–700 आरडी 'बी' में मुरब्बा नम्बर 186/10 के किला नम्बर 5, 6, 7, 14 ता 16, 25 तादादी 7 बीघा व मुरब्बा नम्बर 186/17 के किला नम्बर 21, 22 में 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 186/18 के किला नम्बर 1, 2, 8 ता 14, 17 ता 24 तादादी 17 बीघा शेष 2/14 बीघा बारानी कुल 28 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्व. हीराराम के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है अपीलांटान की कृषि भूमि इसी चक व मुरब्बे में निहित होने से उत्तरवादीगण संख्या 1 ता 8 ने उक्त भूमि को हड़पने की नियत मात्र से गलत तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दावा संधारण योग्य नहीं होने पर भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विस्तृत विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ना ही कोई हक व हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि में किसी प्रकार की धोषणा कराने के अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांटकी अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम डांडूसर के गत् खसरा नम्बर 8 की 30 बीघा 3 बिस्वा तथा गत् खसरा नम्बर 6 की 14 बीघा 3 बिस्वा भूमि इस प्रकार कुल 44 बीघा 6 बिस्वा भूमि संवत् 2012 से हीरा मेघवाल के कब्जे काश्त में बतौर काश्तकार चली आ रही है। हीराराम के स्वर्गवास के उपरान्त उसके जायज वारिसान वादगत् भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादगत् भूमि चकबन्दी में आने पर चक 439–700 आरडी के मुरब्बा नम्बर 186/18 के किला नम्बर 25 में 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 186/26 के किला नम्बर 19 ता 23 में 5 बीघा, किला नम्बर 20 में 1 बीघा इस प्रकार कुल 7 किलों में 5 बीघा 15 बिस्वा नहरी तथा 24 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्कीम से बाहर रही। इस संबंध में सूची नम्बर 4 प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार खसरा नम्बर 6/1 की 2 बीघा चक 439–700 आरडी के मुरब्बा नम्बर 166/60 के किला नम्बर 5 की 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 186/4 के किला नम्बर 1 की 1 बीघा, कुल 2 बीघा, खसरा नम्बर 6/3 की 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि, चक 439–700 आरडी के मुरब्बा नम्बर 186/10 के किला नम्बर 13, 17, 18, 23, 24 में 5 बीघा, मुरब्बा नम्बर 186/11 के किला नम्बर 3 ता 7, 14, 15, 17 में 8 बीघा कुल 13 बीघा तथा शेष 1 बीघा 8 बिस्वा स्कीम से बाहर रही। पूर्व में आराजी मुतनाजा वचन सिंह पुत्र हीरसिंह के खाते में थी परन्तु मौके पर

कब्जा काश्त संवत् 2012 से पूर्व ही हीराराम के कब्जे काश्त में थी वचन सिंह के स्वर्गवास के उपरान्त वचन सिंह के वारिसान विशाल सिंह, दीप सिंह व उनकी माता सिरियादेवी द्वारा शपथ पत्र लिखकर दिया कि वास्तव में वादगत् भूमि पर हीराराम का कब्जा काश्त संवत् 2012 से पूर्व चला आ रहा है। तथा वे ही वास्तविक रूप से खातेदार काश्तकार है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

उन्होनें आगे बताया कि अप्रार्थीगण के पूर्वज सिरिया देवी, वचन सिंह, विशालसिंह, दीपसिंह पुत्र वचनसिंह आदि ने वर्ष 1993 में वादगत् भूमि की खातेदारी अपने नाम प्राप्त की ली गई। उक्त आदेश के विरूद्व जिलाधीश महोदय के समक्ष अपील दायर की गई। जिस पर जिलाधीश महोदय द्वारा तमाम तथ्यों का विवेचन करते हुए दिनांक 31–03–1998 को अपील स्वीकार की गई तथा सिरियादेवी व अन्य के नाम से तहसीलदार द्वारा प्रदान की गई खातेदारी को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी करने पर उक्त निगरानी भी खारिज हो चुकी है। उक्त तमाम तथ्यों को छिपाते हुए अपीलांट्स द्वारा राजस्व अभियान में राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादगत् भूमि की खातेदारी अपने नाम चढ़वा ली गई तथा वादगत् भूमि का इंतकाल भी दर्ज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 03–02–2014 को एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

अदालत मातहत द्वारा दिनांक 03–02–2014 को पारित एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा को दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व रिकार्ड का अवलोकर करने के पश्चात् दिनांक 02–12–2014 को इस आधार पर की दोनों पक्ष वादगत् भूमि पर अपना अपना कब्जा बता रहे है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03–02–2014 को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों को वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि वाके रोही डांडूसर के चक 439–700 आरडी के मुरब्बा नम्बर 186/18 के किला नम्बर 25 में 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 186/26 के किला नम्बर 19 ता 23 में 5 बीघा, किला नम्बर 20 में 1 बीघा इस प्रकार कुल 7 किलों में 5 बीघा 15 बिस्वा नहरी तथा 24 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्कीम से बाहर रही। नम्बर 6/1 की 2 बीघा चक 439–700 आरडी के मुरब्बा नम्बर 166/60 के किला नम्बर 5 की 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 186/4 के किला नम्बर 1 की 1 बीघा, कुल 2 बीघा, खसरा नम्बर 6/3 की 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि, चक 439–700 आरडी के मुरब्बा नम्बर 186/10 के किला नम्बर 13, 17, 18, 23, 24 में 5 बीघा, मुरब्बा नम्बर 186/11 के किला नम्बर 3 ता 7, 14, 15, 17 में 8 बीघा कुल 13 बीघा तथा शेष 1 बीघा 8 बिस्वा स्कीम से बाहर रही, कुल 44 बीघा 6 बिस्वा भूमि के वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश पारित किये गये है जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है वादगत् कृषि भूमि संवत् 2012 से पूर्व से अपीलांट्रान के दादा स्व. वचन सिंह के नाम से चली आ रही है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गये है। वचन सिंह के स्वर्गवास के उपरान्त उसके वारिसान सिरिया देवी बेवा वचन सिंह, विशाल सिंह, दीप सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। तत्पश्चात् सिरिया देवी, विशाल सिंह, दीप सिंह के स्वर्गवास के उपरान्त अपीलांटान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। मौके पर लगातार अपीलांटान का बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रीडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों ही रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित है।

(3) इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि पूर्व में आराजी मुतनाजा वचन सिंह पुत्र हीरसिंह के खाते में थी परन्तु मौके पर कब्जा काश्त संवत् 2012 से पूर्व ही हीराराम के कब्जे काश्त में थी, तथा वचन सिंह के स्वर्गवास के उपरान्त वचन सिंह के वारिसान विशाल सिंह, दीप सिंह व उनकी माता सिरियादेवी द्वारा जरिये शपथ पत्र लिखकर दिया कि वास्तव में वादगत् भूमि पर हीराराम का कब्जा काश्त संवत् 2012 से पूर्व चला आ रहा है। तथा वे ही वास्तविक रूप से खातेदार काश्तकार है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

तत्पश्चात् अप्रार्थीगण के पूर्वज सिरिया देवी, वचन सिंह, विशालसिंह, दीपसिंह पुत्र वचनसिंह आदि ने वर्ष 1993 में वादगत् भूमि की खातेदारी अपने नाम प्राप्त की ली गई। उक्त आदेश के विरूद्व जिलाधीश महोदय के समक्ष अपील दायर की गई। जिस पर जिलाधीश महोदय द्वारा तमाम तथ्यों का विवेचन करते हुए दिनांक 31–03–1998 को अपील स्वीकार की गई तथा सिरियादेवी व अन्य के नाम से तहसीलदार द्वारा प्रदान की गई खातेदारी को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी करने पर उक्त निगरानी भी खारिज हो चुकी है।

उक्त तमाम तथ्यों को छिपाते हुए अपीलांट्स द्वारा राजस्व अभियान में राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादगत् भूमि की खातेदारी अपने नाम चढ़वा ली गई तथा वादगत् भूमि का इंतकाल भी दर्ज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 03–02–2014 को एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई व तत्पश्चात् दिनांक 02–12–2014 को उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया गया है।

(4) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/रेस्पोडेन्ट दोनों पक्षों द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् अपना –अपना क्लेम किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि वादगत् भूमि के स्वामित्व का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है।

(5) रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति दावे के निर्णय के तक कायम रखने के आदेश प्रदान गये है।

अपीलांट का मुख्य कथन है कि वे वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि पर सवंत् 2012 से पूर्व काबिज काश्तकार मानते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी मानते है।

(6) प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि के संबंध में अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के खातेदारी हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है। अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अर्थात प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विवेचन अंकित करते हुए मामलें में और विवाद बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए वादगत् भूमि के संबंध में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03–02–2014 को दावे के निर्णय तक कन्फर्म किया गया है।

(7) चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है, उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है। जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का आदेश दिनांक 02–12–2014 यथावत बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 04.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर